रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 1990/आषाढ़ 19, 1912
No. 281] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 1990/ASADHA 19, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1990

सा. का. नि. 629 (अ) :—महापत्तन (जहाजों के प्रवेश, रुकने, संचलन और निकास का विनियमन) नियम, 1989 में संशोधन किए जाने हेतु कुछ नियमों का निम्न मसौदा जिनको भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधार

(1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनाने का प्रस्ताव है, को उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संभावित रूप में प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन की अवधि में अथवा इस अवधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा ।

2. उक्त मसौदे के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति अथवा सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

नियमों का मसौदा

1. इन नियमों को महा पत्तन (जहाजों के प्रवेश, रूकने, संचलन और निकासी विनियमन) संशोधन नियम, 1990 कहा जाएगा ।

2. नियम 3 के उपनियम (1) में :—

(क) खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) यह तथ्य कि जहाज की हालत ऐसी है कि उससे प्रदूषक तत्वों, गंदगी, हानिकारक अथवा खतरनाक अथवा अन्य किसी ऐसे पदार्थ से पत्तन जल को दूषित किए जाने की संभावना है।"

(ख) "पत्तन के सामान्य कार्य को प्रभावित करते हैं" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द और परन्तुक जोड़े जाएंगे :—

"अथवा इससे ऐसे पत्तन के जल के दूषित या प्रदूषित होने की संभावना है :

बशर्ते कि यदि कोई ऐसा जहाज जिसे उक्त खंड (च) के अनुसार किसी महापत्तन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, कोई विदेशी जहाज है तो संरक्षक उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, फ्लेग स्टेट के कौंसल अथवा राजनयिक को, अथवा यदि यह सम्भव नहीं है तो संबंधित जहाज के प्रशासन को सूचित करेगा । अगर ऐसी सूचना मौखिक दी जाती है तो बाद में इसकी लिखित रूप से पुष्टि की जानी चाहिए।"

[फा. सं. पी. आर.-16012-6/89-पी. जी.]

एस. एन. कक्कड़, संयुक्त सचिव

फुट-नोट :—मुख्य नियम सा. का. नि. सं. 360(ई) दि. 15 मार्च, 1989 में प्रकाशित हुए थे ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 1990

G.S.R. 629(E).—The following draft of certain rules, to amend the Major Ports (Regulation of Entry, Stay, Movement and Exit of Vessels) Rules, 1989 which the Central Government proposed to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), is hereby published as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Major Ports (Regulation of Entry, Stay, Movement and Exit of Vessels) Amendment Rules, 1990.

2. In sub-rule (1) of rule 3 :—

(a) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

"(f) the fact that the vessel's condition is such, that it is likely to contaminate port waters with pollutants, wastes, obnoxious or hazardous or other such substances."

(b) after the words "affect the normal work of the port" the following words and proviso shall be added, namely.—

"or is likely to contaminate or pollute the waters of such port:

Provided that where a vessel which has not been permitted entry into a major port, by virtue of clause (f) above is a foreign vessel, the conservator shall notify the consul or diplomatic representative of the flag state or, if this is not possible, the Administration of the ship concerned, of the

circumstances in which the vessel has not been permitted entry. If such notification is made verbally it should be confirmed in writing subsequently."

[F. No. PR-16012-6|89-PG]

S. N. KAKAR, Jt. Secy.

Foot Note :—Principal rules were published in GSR No. 360(E) dated 15th March, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990